प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0।

आवंटन
अनुदान संख्या–61
आयोजनेत्तर
लेखाशीर्षक 3604001980301–28

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
लखनऊ।

संख्याः 1/शा0/149/2015–1/15/2014 लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2015

विषयः तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान सं0–61 आयोजनेत्तर मद से पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि में से निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण आदि के लिए अनुमन्य 1% की धनराशि रू0–2695.00 लाख को आहरित कर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा कराये जाने हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–2/2015/बी–2–870/दस–2015–2/2014, पंचायती राज अनुभाग–3 पत्रावली संख्या–100(10)/2012, दिनांक 17 मार्च, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–61 से पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो के लिये व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि रू0–269500.00 लाख में से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण आदि के लिए अनुमन्य 1% धनराशि रू0–2695.00 लाख (रूपया छब्बीस करोड़ पंचान्नवे लाख मात्र) निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है।

"उक्त धनराशि को निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आहरित करके जिला पंचायत लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।"

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–0301–सामान्य समनुदेशन –28–समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा।

उक्त आवंटित की जा रही धनराशि को कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ से तत्काल आहरित कर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ के डिपाजिट खातें में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–38 पर अंकित है।

संलग्न उक्तानुसार।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या–1 / शा / 149 / 1 / 2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0, शासन।
3 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट, लखनऊ को अभुगतान प्रमाण–पत्र निर्गत करने तथा शासनादेश की अपनी प्रति मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट, लखनऊ को पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।
4–मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट, लखनऊ।
5–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6–निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
7–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
8– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001
9–आहरण वितरण अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10–उप निदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
11–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
12–उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, जापलिंग रोड लखनऊ।
13–एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

1% Allot Letter 20-03-2015